



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102024-258150
CG-DL-E-22102024-258150

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4248]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 22, 2024/आश्विन 30, 1946

No. 4248]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2024/ASVINA 30, 1946

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4622(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 70 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीएल बैंक लिमिटेड की नाजुक सूचना अवसंरचना होने के कारण महत्वपूर्ण बैंककारी समाधान (कोर बैंकिंग सोल्यूशन), वास्तविक समय समग्र निपटान (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) और एकीकृत भुगतान इंटरफेस स्विच (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस स्विच) से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों एवं उनसे सहयुक्त आश्रितताओं के कंप्यूटर संसाधनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा संरक्षित प्रणाली घोषित करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच बनाने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

- (क) संरक्षित प्रणाली तक पहुंच बनाने के लिए, आरबीएल बैंक लिमिटेड द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत आरबीएल बैंक लिमिटेड का कोई अभिहित कर्मचारी;
- (ख) संविदात्मक प्रबंधित सेवा-प्रदाता या तृतीय पक्षकार विक्रेता के दल का कोई सदस्य जिसे आवश्यकता के आधार पर पहुंच बनाने के लिए आरबीएल बैंक लिमिटेड द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है; और

- (ग) मामला दर मामला के आधार पर, आरबीएल बैंक लिमिटेड द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई परामर्शी, विनियामक, सरकारी पदाधिकारी, संपरीक्षक और पणधारी।
2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 2(5)/2022-सीएल-भाग(2)]

दीपक गोयल, वैज्ञानिक जी

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2024

S.O. 4622(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares the computer resources relating to the Core Banking Solution (CBS), Real Time Gross Settlement (RTGS), Unified Payments Interface (UPI) Switch, being Critical Information Infrastructure of the RBL Bank Ltd., and the computer resources of their associated dependencies, to be protected systems for the purposes of the said Act and authorises the following persons to access the protected systems, namely:—

- (a) any designated employee of the RBL Bank Ltd. authorised in writing by the RBL Bank Ltd. to access the protected system;
 - (b) any team member of contractual managed service provider or third-party vendor who have been authorised in writing by the RBL Bank Ltd. for need-based access; and
 - (c) any consultant, regulator, Government official, auditor and stakeholder authorised in writing by the RBL Bank Ltd. on case-to-case basis.
2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2(5)/2022-CL-Part(2)]

DEEPAK GOEL, Scientist G